भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5448

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का कार्यान्वयन</u>

5448. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले सहित प्रत्येक योजना के अंतर्गत आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्षवार, योजनावार और जिलावार ब्यौरा क्या है,

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्य का वर्षवार, योजनावार और जिलावार ब्यौरा क्या हैं और विशेषकर कोनासीमा जिले में संस्थापित क्षमता, कवर किए गए घरों और सृजित नवीकरणीय ऊर्जा की इकाइयों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) विशेषकर कोनासीमा जिले सहित प्रत्येक योजना के अंतर्गत, वर्ष, योजना और जिलावार कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में स्वीकृत, कार्यान्वित और पूरी की गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का योजना और जिलावार ब्यौरा क्या हैं और विशेषकर कोनासीमा जिले में वर्तमान में इनकी स्थिति और समय-सीमा क्या है;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश के किन्हीं जिलों की पहचान नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने/योजना के उपयोग के मामले में खराब कार्य निष्पादन करने वाले जिलों के रूप में की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) खराब कार्य निष्पादन वाले जिलों में कार्यान्वयन संबंधी कमियों और कम कवरेज को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (च) वर्तमान में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास

और संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की प्रमुख चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जारी/उपयोग किए गए सीएफए का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

देश में अधिकांश व्यापक पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं डेवलपर्स द्वारा स्थापित की जा रही हैं, जिनका चयन पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (NREDCAP) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के दौरान स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का जिला-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	जिला	क्षमता (मेगावाट)
1	अनंतपुरमु	42.40
2	चित्तूर	14.54
3	गुंटूर	1.17
4	कृष्ण	9.38
5	कुरनूल	371.51
6	नंदीयाल	646.20
7	पलनाडु	41.54
8	प्रकाशम	3.30
9	एसपीएसआर नेल्लोर	2.00
10	श्री सत्य साईं	22.65
11	श्रीकाकुलम	4.84
12	तिरुपति	12.92
13	पश्चिम गोदावरी	1.26
14	वाईएसआर कडप्पा	1,229.48
	कुल	2,403.18

उक्त अवधि के दौरान कोनासीमा जिले में कोई बड़े स्तर की (यूटिलिटी स्केल) परियोजनाएं स्थापित नहीं की गई हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) के तहत, आंध्र प्रदेश में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए कुल 14.63 लाख आवेदन जमा किए गए हैं, जिनमें कोनासीमा जिले के 28,843 आवेदन शामिल हैं। ये आवेदन योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर फरवरी 2024 में शुरू होने के बाद से दिनांक 19.03.2026 तक जमा हुए हैं। इस दौरान 1,17,407 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान की गई है, जिनमें कोनासीमा जिले के 3633 परिवार शामिल हैं। जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

पीएम-कुसुम योजना के तहत, राज्य द्वारा रखी गई मांग और हासिल किए गए लक्ष्यों के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) को लाभार्थी चयन और जिला स्तर पर योजना के आगे कार्यान्वयन के लिए सशक्त बनाया गया है। मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत, जिलों के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। योजना के घटक-ग के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य को फीडर स्तर सौरीकरण ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से 1162.80 मेगावाट पीक की कुल मिलाकर क्षमता वाले 2,93,587 ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण की मंजूरी दी गई है। NREDCAP ने सूचित किया है कि कोनासीमा जिले में कोई क्षमता प्रस्तावित नहीं है। ये कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। जिला-वार क्षमता का विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

मंत्रालय की सौर पार्क योजना के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ष 2020-21 से 300 मेगावाट सौर पार्क क्षमता स्वीकृत की गई है और उक्त क्षमता श्री सत्य साईं जिले के रामगिरी में कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, राज्य में वर्ष 2020-21 से अब तक 1250 मेगावाट सौर पार्क क्षमता चालू हो चुकी है, जिसमें वर्ष 2020-21 से पहले स्वीकृत सौर पार्कों में चालू की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

सीपीएसयू योजना चरण-II के अंतर्गत पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य को कुल 400 मेगावाट सौर विद्युत क्षमता आवंटित की गई है, जिसका कार्यान्वयन कार्य जारी है।

बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रमों के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान क्रमशः 13.26 मेगावाट और 31.83 मेगावाट समतुल्य क्षमता वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और सभी परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना [आदिवासी और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) बस्तियों/गांवों के लिए] के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य को स्वीकृत कुल 1,675 पीवीटीजी घरों में से 967 बिना विद्युतीकृत पीवीटीजी घरों को दिनांक 28.02.2026 तक विद्युतीकृत किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है -

- 90,000 एमटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना क्षमता एनजीएचएम के ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) कार्यक्रम के तहत ग्रीनको जीरोसी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की गई है। डेवलपर ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में परियोजना स्थान की सूचना दी है।
- एनजीएचएम के साइट कार्यक्रम के तहत ज्होन कॉकरेल ग्रीनको हाइड्रोजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट वार्षिक इलेक्ट्रोलॉयजर विनिर्माण क्षमता परियोजना आवंटित की गई है। डेवलपर ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में परियोजना स्थान की सूचना दी है।

- एनएच 16 विशाखापत्तनम-बय्यावरम मार्ग के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वोल्वो को परिवहन क्षेत्र में पायलट परियोजना आवंटित की गई है। 17.13 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत राशि में से 3.42 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सरकार, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के समन्वय से, आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करती है और कार्यान्वयन में आने वाली कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के कवरेज/अपनाने में सुधार करने के लिए समय-समय पर उचित उपाय करती है।

अनुलग्नक-I

'आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5448 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

चल रही प्रमुख सौर ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।
2. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, स्टैण्ड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना तथा फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है।
3. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
4. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ घरेलू रूप से विनिमत सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों का उपयोग करते हुए 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
5. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और ट्रांश-II) में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
6. भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिवों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात हेतु वैश्विक हब बनाने के लक्ष्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।
7. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी): नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार करना। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है ।
8. जैव ऊर्जा कार्यक्रमः

- अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रमः शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेष से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम।
- बायोमास कार्यक्रमः ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
- बायोगैस कार्यक्रमः परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।

9. जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए)।

<u>अनुलग्नक-II</u>

'<u>आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का कार्यान्वयन</u>' के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5448 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की प्रमुख चालू योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में जारी की गई/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सौर पार्क	रूफटॉप सोलर/ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना	प्रधानमंत्री-जनमान	बायोमास	सीपीएसयू	अपशिष्ट से ऊर्जा	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
2022-23	-	5.6	-	-	-	50.47	-
2023-24	-	4.5	-	-	22.45	2.74	47.54
2024-25	83.90	111.42	0.37	1.84	-	0.72	0.25

अनुलग्नक-III

'आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5448 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में पीएमएसजीएमबीवाई के तहत योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर प्रस्तुत आवेदनों की संख्या और फरवरी 2024 में योजना के शुभारंभ से लेकर दिनांक 19.03.2026 तक शामिल किए गए परिवारों की संख्या का जिला-वार विवरण।

क्र.सं.	जिला	जमा किए गए आवेदनों की संख्या	शामिल किए गए परिवारों की संख्या
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	16112	61
2	अनकापल्ली	27951	5529
3	अनंतपुर	0	0
4	अनंतपुरमु	41490	2919
5	अन्नमय्या	43824	1829
6	बापतला	73665	5204
7	चित्तूर	56475	1565
8	पूर्वी गोदावरी	33751	6760
9	एलुरु	60960	7340
10	गुंटूर	119958	8322
11	काकीनाडा	29438	6873
12	कोनासीमा	28843	3633
13	कृष्ण	99460	7024
14	कुरनूल	78401	2485
15	नांदयाल	97538	3222
16	एनटीआर	95746	6154
17	पलनाडु	162438	3700
18	पार्वतीपुरम मान्यम	18339	1779
19	प्रकाशम	51906	5217
20	श्रीकाकुलम	27264	5831
21	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	62821	4798
22	श्री सत्य साईं	41885	1071
23	तिरुपति	52943	4226
24	विशाखापत्तनम	19096	7544
25	विजयनगरम	30804	5940
26	पश्चिम गोदावरी	37977	5827
27	वाई.एस.आर.	54440	2554
	कुल	**14,63,525**	**1,17,407**

अनुलग्नक-IV

'<u>आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का कार्यान्वयन</u>' के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5448 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

NREDCAP द्वारा रिपोर्ट किए गए पीएम-कुसुम घटक-ग (एफएलएस) के तहत स्वीकृत क्षमताओं का जिला-वार विवरण

क्र.सं.	जिला	क्षमता (मेगावाट)
1	अनकापल्ली	57.97
2	विशाखापत्तनम	10.00
3	विजयनगरम	14.38
4	पार्वतीपुरम मान्यम	21.69
5	एलुरु	44.00
6	श्रीकाकुलम	20.76
7	काकीनाडा	42.17
8	पूर्वी गोदावरी	9.33
9	एनटीआर	23.00
10	पलनाडु	42.50
11	बापतला	17.00
12	प्रकाशम	109.00
13	नेल्लोर	101.00
14	तिरुपति	28.00
15	चित्तूर	221.00
16	वाईएसआर कडपा	120.00
17	अन्नमय्या	19.00
18	कुरनूल	47.00
19	कुरनूल	29.00
20	अनंतपुर	111.00
21	श्री सत्य साईं	75.00
	कुल	**1,162.80**
